न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेष सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या /2021

वादी :–

1) ~~[illegible]~~ रामाराम पुत्र सबाराम
2) अशोक कुमार पुत्र सबाराम

तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1) लादी बेवा सबाराम
2) सताराम पुत्र बिरधाराम
3) राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती

उपस्थिति :– 1. श्री रामाराम, अशोक कुमार स्वंय वादी।
2..श्री लादी, सताराम प्रतिवादीगण
3 तहसीलदार पचपदरा

निर्णय

दिनांक :–

वादी के द्वारा वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जा काष्त की भूमि खेत ~~खसरा~~ खाता नं ......165...... रकबा ......3-08...... बीघा,

सरहद मौजा ......चांदेसरा...... तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी का कब्जा काष्त है। वादी के बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम ......सबाई, पपु...... होने से राजस्व रेकर्ड में ......सबाई, पपु पि. सबा...... दर्ज किया गया, जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राषन कार्ड में वादी का नाम ......रामाराम, अशोक कुमार...... दर्ज है। वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान लेने, आदि सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। वादी ने राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज ......सबाई, पपु...... के स्थान पर ......रामाराम, अशोक कुमार...... सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:51:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण संख्या 1 राजस्थान राज्य की तरफ से ईकबाली जबाबदावा पेष कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का बचपन नाम सबाई, पपु पि. सबा के स्थान पर रामाराम, अशोक कुमार पि. सबाराम दुरुस्ती की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच नायब तहसीलदार पचपदरा तहसील पचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरूस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमनें पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि खेत ~~खसरा~~ खाता नं 165 रकबा 3-08 बीघा, सरहद मौजा चांदेसरा तहसील पचपदरा वादी का नाम बचपन में लाड–प्यार का नाम सबाई, पपु पि. सबा दर्ज किया गया वादी द्वारा साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्वसरकारी दस्तावेजों सरंपचं ग्राम पंचायत ~~समदड़ी~~ चांदेसरा एवं तहसीलदार पचपदरा की जांच रिपोर्ट के अवलोकन स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम सबाई, पपु पि. सबा दर्ज किया गया है वादी का सही नाम रामाराम, अशोक कुमार है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर खेत ~~खसरा~~ खाता नं 165 रकबा 3-08 बीघा, सरहद मौजा चांदेसरा

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम सबाई, पपु पुत्र सबा के स्थान पर रामाराम, अशोक कुमार पुत्र सबाराम खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेषित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिष्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 29/10/2021 **को कोर्ट केम्प कोर्ट** चांदेसरा **में मजमे आम में सुनाया गया।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:51:02 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

184A/2021

प्रपत्र–5

2021/480

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बालोतरा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :– श्री नरेश सोनी

वादी
1) रामाराम पुत्र सवाराम
2) अशोक कुमार पुत्र सवाराम

उनवान बनाम

प्रतिवादी
1) लाछी बेवा सवाराम
2) सतराम पुत्र विरधाराम
3) तहसीलदार पचपदरा

दावा बाबत U/S 88 RTA

मुकदमा नम्बर :–

निर्णय दिनांक :– 29/10/2021 की व प्रतिवादी की ओर से .... व वादी की ओर से .... को श्री नरेश सोनी (नाम पीठासीन अधिकारी)...... उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29/10/2021 के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि – वादी के वाद को स्वीकार कर मौजा चांदेसरा के खाता संख्या 165 में रकबा 3-08 बीघा वादग्रस्त आराजी मे वादी का नाम सवाई, पपू पि. सवा के स्थान पर रामाराम, अशोक कुमार पि. सवाराम घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा तदानुसार राजस्व रेकर्ड में नाम अमल दरामद करे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 29/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:51:02 IST
Reason: SelfAttested

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,......